FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर SDO मुकाम बायतु

पन्नाराम बनाम लिखमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व अपील धारा 111,128 RLRAct नं. 72/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/03/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/7/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/08/2021 को पेश हो/	
04/08/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 19/11/2021 को पेश हो/	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:07 IST
Reason: SelfAttested

19/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये किन्तु एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।

16/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेठा-सेठ आये हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ें व कोण आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं, जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिससे खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेखमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर जाकर कमीशन शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 19 दिनांकः– 12/02/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. पन्नाराम पुत्र तेजाराम
जाति जाट, निवासी कसुम्बला हरचन्द
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. लिखमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 15
जाति जाट, निवासी कसुम्बला हरचन्द
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 72 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – कसुम्बला हरचन्द, पटवार मण्डल – कसुम्बला भाटियान, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 109 / 31 रकबा 7.5271 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांकः– 12/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 20-24

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पन्नाराम पुत्र तेजाराम
4. विप्रार्थी श्री लिखमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 15
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:07 IST
Reason: SelfAttested